राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1343 / 2023

रमेश चन्द्र वर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.04.2023
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11–1–2023 के द्वारा जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर ने अपीलार्थी को सी.सी.ए. नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुए सी. सी.ए. नियम 1958 के नियम 13 के तहत तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया और उसका मुख्यालय तहसील रैणी रखा गया। आदेश दिनांक 11–1–2023 की पालना में अपीलार्थी ने कार्यालय तहसीलदार रैणी, अलवर में 13–1–2023 को कार्यग्रहण कर लिया। आदेश दिनांक 14–4–2023 के द्वारा अपीलार्थी को विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुए निलम्बन से बहाल कर दिया गया। उक्त आदेश में यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी अपनी उपस्थिति प्रभारी अधिकारी (स्थापना) कलक्ट्रेट अलवर के समक्ष प्रस्तुत करें। आदेश दिनांक 17–4–2023 के द्वारा तहसीलदार रैणी अलवर ने अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14–4–2023 की पालना में कलक्टर अलवर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया । अपीलार्थी ने कार्यमुक्ति के पश्चात अपीलार्थी में दिनांक 17–4–2023 को प्रभारी अधिकारी (स्थापना) कलक्ट्रेट अलवर की अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर दी जिसे 18–4–2023 को स्थापना मार्क किया गया। दिनांक

17–4–2023 को कलक्टर महोदय के कार्यालय में नहीं होने के कारण उसे 18–4–2023 को कार्यग्रहण कराया गया। अपीलार्थी वर्तमान में कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर में कार्य कर रहा है। चूनौती आदेश दिनांक 15–4–2023 के द्वारा जिला कलक्टर अलवर ने एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन रिर्जव भू अभिलेख निरीक्षक तहसील मुण्डावर किये जाने का आदेश पारित किया और यह आदेश किया कि तहसील मुण्डावर में कार्यग्रहण करें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.04.2023 को जारी नहीं किया गया। वास्तव मे उक्त आदेश 20.04.2023 के पश्चात जारी किया गया है, क्योंकि पूर्व में जारी आदेश दिनांक 14.04.2023 के आदेश की पालना में तहसील रैणी, अलवर से जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर के लिए अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है एवं दिनांक 17.04.2023 को अपीलार्थी ने जिला कलक्टर अलवर में अपनी उपस्थिति दी और स्थापना शाखा ने दिनांक 18.04.2023 को अपीलार्थी को कार्यग्रहण कराया। यदि वास्तव में उक्त आदेश 15–4–2023 को जारी किया गया होता तो अपीलार्थी न तो तहसील रेणी से कार्यमुक्त किया जाता न ही कलक्टर अलवर द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण कराया जाता। जब स्वयं कलक्टर कार्यालय अलवर ने अपीलार्थी को 4–4–2023 के आदेश की पालना में कार्यग्रहण कराया है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि दिनांक 17/18–4–2023 तक 15–4–2023 का आदेश जारी नहीं हुआ था ।

2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.04.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा निलंबन से बहाल किया गया था और अपीलार्थी को अपनी उपस्थिति प्रभारी अधिकारी (स्थापना) कलक्टर अलवर समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। बाद में आदेश दिनांक 15.04.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा पूर्व के आदेश दिनांक 14.04.2023 में संशोधन कर उन्हें पदस्थापन रिजर्व भू.अ.नि. तहसील मूण्डावर में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गए। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि पूर्व में आदेश दिनांक 14.04.2023 के आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अपनी उपस्थिति प्रभारी

अधिकारी (स्थापना) कलक्टर अलवर में दिये जाने के निर्देश दिये थे। जहां पर उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा दी थी। अपीलार्थी को अल्प समय में दूसरी जगह पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निलंबन से बहाली आदेश दिनांक 14.04.2023 के जरिये अपीलार्थी को अपनी उपस्थिति प्रभारी अधिकारी (स्थापना) कलक्टर अलवर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए थे। जिसमें संशोधन कर अपीलार्थी का पदस्थापन रिजर्व/ भू. अ. निरीक्षक तहसील मुण्डावर किया गया। आदेश दिनांक 14.04.2023 के जरिये अपीलार्थी को उपस्थिति देने के लिए निर्देश दिये गए थे, जबकि आदेश दिनांक 15.04.2023 अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश है। नियोजक को यह अधिकार है कि वह अपने कर्मचारियेां का पदस्थापन किसी भी स्थान पर प्रशासनिक दृष्टि से कर सकता है। वर्तमान में जिला कलक्टर भू. अभिलेख अलवर ने पूर्व के आदेश को संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।
4. अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)